

फ.सं. 354/119/2017- टीआरयू  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कर अनुसंधान एकक

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
तारीख 7 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (समस्त) / प्रणाली महानिदेशक

विषय : माल या यात्रियों का वहन करने के लिए या मरम्मत या अनुरक्षण के लिए परिवहन के विभिन्न  
हंगों के अंतर्राज्यिक संचल पर स्पष्टीकरण - के संबंध में।

माल या यात्रियों का वहन करने के लिए या मरम्मत या अनुरक्षण के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 (4) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच परिवहन की विभिन्न रीतियों से अंतर्राज्यिक संचलन पर एकीकृत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण की छूट का मुद्दा, जो माल या यात्री या दोनों का परिवहन कर रहे हैं; या मरम्मत या अनुरक्षण कर रहे हैं [उन मामलों के सिवाय जहां ऐसा संचलन उसी परिवहन की और पूर्ति के लिए है] की जांच कर ली गई है।

2. पूर्वोक्त परिप्रेक्ष्य में माल और सेवा कर विधियों में विधिक उपबंध नीचे दिए अनुसार है:

क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 (1) (i) के अनुसार अंतर्राज्यिक कराधेय पूर्ति करने वाले व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन राजस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा।

ख) उक्त अधिनियम की धारा 25 (4) के अनुसार कोई व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रीकरण अधिप्राप्त कर लिया है या जिससे एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण अधिप्राप्त करने की अपेक्षा है, चाहे एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में या एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में वह प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति माना जाएगा।

ग) उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 उन स्थितियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनमें कार्यकलापों को पूर्ति माना जाएगा, चाहे बिना किसी प्रतिफल के की गई हो, जिसके अंतर्गत नातेदार व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं की पूर्ति भी है, जैसा कि धारा 25 में विनिर्दिष्ट है, जब वह कारवार का अग्रसर करने के अनुक्रम में की जाए।

घ) धारा 7 (2) परिकल्पित करती है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यकलाप या संव्यवहार, जिनमें वह लोक प्राधिकारी के रूप में लगे हुए हैं, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किए जाएं, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा।

3 पूर्वोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राज्यिक माल के संचलन का मुद्दा, जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 25 (4) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच परिवहन के विभिन्न हंग, जिसमें ऐसे परिवहन की ओर पूर्ति अंतर्वलित नहीं है, जिसके अंतर्गत-

i. रेलगाड़ी,

- ii. बस,
- iii. ट्रक,
- iv. टैंकर,
- v. ट्रेलर,
- vi. जलयान,
- vii. कंटेनर,
- viii. वायुयान

(क) जो माल या यात्रियों या दोनों का वहन कर रहे हैं; या (ख) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए [उन मामलों के सिवाय जहां ऐसा संचलन उसी परिवहन की और पूर्ति के लिए है] पर 11 जून, 2017 को आयोजित माल और सेवा कर परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था तथा परिषद् ने सिफारिश की कि ऐसे अंतर्राज्यिक संचलन को 'न तो माल या सेवा की पूर्ति' माना जाएगा और इसलिए वह एकीकृत माल और सेवा कर ऐसे उद्घटनीय नहीं है।

4. पूर्वोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) में यथा विनिर्दिष्ट मालों का अंतर्राज्यिक संचलन जैसे परिवहन की विभिन्न रीतियों से संचलन, सुभिन्न व्यक्तियों के बीच, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के (i) से (viii) यथा विनिर्दिष्ट है, को पूर्ति नहीं माना जाएगा और परिणामस्वरूप ऐसी पूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर संदेय नहीं होगा।

5. तथापि, यथास्थिति, लागू केंद्रीय माल और सेवा कर/राज्य और माल सेवा कर/एकीकृत माल और सेवा कर ऐसे परिवहन के लिए मरम्मत और अनुरक्षणों पर संदेय होगा।

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार